

पत्रावली

क्र. सं.

हुकम या कार्यवाही नय इनिशयत्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
हुकम की तागील
में जारी हुए

3.20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
व्यापक कार्य स्थगन/वहियत रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
9-4-20

9/4

उपपक्ष नुसखित पी.सी.डी. अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली पर हे / पसरित हे
अतः पत्रावली दिनांक 7-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

6/10

उपपक्ष नुसखित पी.सी.डी. अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली पर हे / पसरित हे
अतः पत्रावली दिनांक 28-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28/5

उपपक्ष नुसखित पी.सी.डी. अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली पर हे / पसरित हे
अतः पत्रावली दिनांक 13-8-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13.8.20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित,
अप्रार्थीगण अनुपस्थित, वकील प्रार्थिया का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय
पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्र व तारीख
काम जो इ
न की तारीख
जारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

डासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 182/19 प्रा.पत्र

श्रीमती गीता देवी श्री दुर्गात्म तैली निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री हाजी नसीर खां श्री पीर खां भूमिया मुरालमान निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (विरोधी)
[सहायक प्रा.पत्र सलगन है]

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1853 कुल किता 01 रकबा 08 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-10-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1853 कुल किता 01 रकबा 08 बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा